# UNIVERSITY OF RAJASTHAN
# JAIPUR

Minutes of the special meeting of the Academic Council held on 17th February, 2021 at 03:00 P.M. in the Vice-Chancellor's Secretariat, University Campus, Jaipur.

**PRESENT :**

| | | |
|---|---|---|
| | Prof. Rajeev Jain | **Vice-Chancellor** (In the Chair) |
| 2. | Prof. Nand Kishore Pandey | |
| 3. | Prof. S.L. Sharma | |
| 4. | Dr. Arvind Vikram Singh | |
| 5. | Dr. Anjalika Sharma | |
| 6. | Dr. Asha Jain | |
| 7. | Dr. Abha Jain | |
| 8. | Dr. Anjora Belcha | |
| 9. | Dr. Abhay Upadhaya | |
| 10. | Dr. Beena Jain | |
| 11. | Dr. Deepa S.P. Mathur | |
| 12. | Dr. G.S. Rajpurohit | |
| 13. | Dr. Krishna Gupta | |
| 14. | Dr. Madhu Jain | |
| 15. | Dr. Mukta Singhvi | |
| 16. | Dr. Manju Singh | |
| 17. | Dr. Mukta Agrawal | |
| 18. | Dr. Nasera Basri | |
| 19. | Dr. Nidhi Raisinghani | |
| 20. | Dr. Neelima Gupta | |
| 21. | Dr. N.S. Mahla | |
| 22. | Dr. Om Mahla | |
| 23. | Dr. Pramila Dubey | |
| 24. | Dr. Paresh Vyas | |
| 25. | Dr. P.J. John | |
| 26. | Dr. Pramila Poonia | |
| 27. | Shri Rishabh Srivastava | |
| 28. | Shri Rajat Pandel | |
| 29. | Dr. R.N. Sharma | |
| 30. | Dr. Rajesh Kumar Sharma | |
| 31. | Dr. R.K. Singhal | |
| 32. | Dr. Sangeeta Gupta | |
| 33. | Dr. Saniula Thanvi | |

34. Dr. S.N. Dolia
35. Dr. S.S. Chouhan
36. Dr. S.S. Somra
37. Dr. Shashi Upadhyay
38. Dr. Sunita Sharma
39. Dr. Sunita Bhargava
40. Dr. Tanuja Singh
41. Dr. Vinod Sharma

Shri K.M. Duriya **Registrar**

At the outset, Vice-Chancellor welcomed all members present in the meeting including new appointed members of the Academic Council.

**Agenda Item No.01**

To report the orders of the Vice-Chancellor dated 25.06.2020 approving the minutes of the meeting of the Deans with Heads of different departments & Conveners of Board of Studies in different subjects held in the months of January & February 2020 regarding a new Academic Programme Anandam.

**Resolution :**

The Academic Council confirmed the above orders of the Vice-Chancellor.

**Action : Academic-I Section**

**Agenda Item No.02**

To report the order of the Vice-Chancellor dated 18.08.2020 for approving the minutes of the meeting of COC in Library & Information Science 2020-21 held on 10.06.2020.

**Resolution :**

The Academic Council confirmed the above orders of the Vice-Chancellor.

**Action : Academic-I Section**

**Agenda Item No.03**

To report the orders of the Vice-Chancellor dated 26.12.2020 approving the recommendations of the Adhoc C.O.C.in Computer Application & I.T. dated 11.12.2020 under his emergency powers provided in Section 13(4) of the University Act.

**Resolution :**

The Academic Council confirmed the above orders of the Vice-Chancellor.

**Action : Academic-I Section**

**Agenda Item No.04**

To appoint six University Teachers from amongst the members of the Academic Council as members on the Library Committee for a fresh term of two years.

**Resolution :**

The Academic Council considered the above matter and authorized to Vice-Chancellor to appoint six University Teachers from amongst the members of the Academic Council as members on the Library Committee for a fresh term of two years.

**Action : Academic-I Section**

**Agenda Item No.05**

To report the orders of the Vice-Chancellor dated 21.08.2019 approving the recommendation of the Faculty of Management Studies dated 17.08.2019.

**Resolution :**

The Academic Council confirmed the above orders of the Vice-Chancellor.

**Action : Academic-I Section**

**Agenda Item No.06**

वर्ष 2018 में नवनियुक्त सह–आचार्यो ने उनके नियुक्ति आदेश में दो वर्ष परिवीक्षाकाल का उल्लेख किये जाने के क्रम में विश्वविद्यालय परिनियम 357–ए एवं उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 1(2)शिक्षा–4/2013 दिनांक 30–10–2014 एवं वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक F.12(6)FD/Rules/2005 दिनांक 16.10.2014 संलग्न कर परीवीक्षाकाल दो वर्ष के स्थान पर एक वर्ष किये जाने का आग्रह किया है।

**Resolution :**

कुलपति जी द्वारा शैक्षणिक परिषद् को उक्त सम्बन्ध में सूचित किया गया है कि उपरोक्त प्रस्ताव सिंडिकेट के अधिकार क्षेत्र का है एवं इस पर सिंडिकेट की बैठक दिनांक 29–12–2020 के निश्चय संख्या– 6–3.1 में विचार किया जा चुका है, जिसमें सिंडिकेट ने निम्नानुसार निश्चय किया है :–

*"सिंडिकेट ने परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र पर विचार कर पत्र में उल्लेखित निर्देशों की पालना करने का निश्चय किया।"*

**Action :Estt.-I Section**

**Agenda Item No.07**

To consider award of actual percentage as per CGPA and consequent division as per PG course (Annual Scheme) in the results of the P.G. courses examination 2021 onwards running under grading examination system/scheme in pursuance of the EPMC Resolution No.-1 dated 11-01-2021.

In this context, to also consider to issue certificate to the P.G. students under grading examinations scheme of previous years with specifying the percentage and division accordingly, as required by the RPSC, Ajmer.

**Explanatory Note :**

1. As per existing system of examination laid down for P.G. courses running under grading system, the percentage and division is not being provided with the final results in marks sheets/T.R.

2. Whereas the RPSC, Ajmer requires the certificates regarding actual percentage and award of division for such students of grading system, but due to existing norms of grading scheme the University is unable to provide the percentage and division in respect of such students. Such students are facing the difficulties for getting the Jobs/Employment through RPSC, Ajmer.

3. This matter was placed below in the last meeting of EPMC held on 11-01-2021 for its consideration. The EPMC vide its resolution No. 1 has recommended that "ग्रेडिंग स्कीम के अन्तर्गत CGPA एवं EosE के प्राप्तांक/प्रतिशत में अन्तर होने के फलस्वरूप भविष्य में अनावश्यक विधिक प्रकरणों के उत्पन्न होने की आशंका के कारण **CGPA के आधार पर प्राप्त वास्तविक प्राप्तांक प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों के आधार पर श्रेणी का उल्लेख करने की समिति अनुशंसा करती है।** शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के पश्चात् ही गोपनीय शाखा तद्नुसार ग्रेडिंग सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणामों में प्रतिशत एवं श्रेणी का उल्लेख करवाना सुनिश्चित करेगा। साथ ही उक्त प्रकरण को आगामी होने वाली शैक्षणिक परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की भी अनुशंसा करती है।"

4. The University shall reply the RPSC, Ajmer and other employment agencies with the factual position and the resolution of Academic Council, what so ever, as per requirement accordingly.

**Resolution :**

शैक्षणिक परिषद् उक्त प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार–विमर्श कर कुलपति जी को अधिकृत करती है कि सांख्यिकी विभाग व गणित विभाग के विभागाध्यक्षों को सम्मिलित करते हुये 5 विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जावें। यह समिति चाहे तो अंक निर्धारण के सम्बन्ध में अन्य विश्वविद्यालयों से भी जानकारी प्राप्त कर सकती है। समिति अपनी अनुशंसा 15 दिवस में संकाय अधिष्ठाताओं की समिति (Deans Committee) को प्रस्तुत करेगी। अधिष्ठाताओं की समिति उक्त अनुशंसा पर पूर्ण विवेचन करते हुये एवं इस विषय की गंभीरता को देखते हुये अपनी अनुशंसा आगामी शैक्षणिक परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करेगी।

**Action : Secrecy/Exam**

**Agenda Item No.08**

To Consider विश्वविद्यालय की परीक्षा प्लॉनिंग एवं मौनिटरिंग समिति की बैठक दिनांक 08–02–2021 की निश्चय संख्या–7 के सन्दर्भ में कोविड–19 की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर संशोधित सलैब्स के अनुसार परीक्षा–2021 हेतु प्रश्न पत्र पेटर्न एवं परीक्षा अवधि (दो घंटे अथवा तीन घंटे) के संबंध में दिशा–निर्देश जारी करने पर विचार करना।

**Explanatory Note :-**

1. राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रुप–4 विभाग के पत्र क्रमांक प.3(7)शिक्षा–4/2014 पार्ट दिनांक 03–09–2020 व 08–09–2020 तथा कुलपति महोदय के आदेशानुसार कोविड–19 की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर छात्र एवं संकाय के हित में विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की सत्र 2019–20 की शेष परीक्षाओं की समयावधि तीन घण्टे के स्थान पर दो घण्टे की गई तथा छात्रों को दिये गये प्रश्न–पत्र में खण्ड/विकल्प के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं रखी गयी तथा कोई प्रश्न दो भागों में होने पर उसे पूरा हल करने का निर्णय किया गया। साथ

ही यह भी प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों के 60 प्रतिशत प्रश्नों के अंको को 100 प्रतिशत में परिवर्तित करते हुये परीक्षा परिणाम घोषित करने का निश्चय किया गया।

2. उक्त सन्दर्भ में एक परिपत्र क्रमांक उ.कु./गोप प्रथम/2020/212–13 दिनांक 14–09–2020 जारी किया गया।
3. वर्तमान में कोविड–19 की परिस्थितियॉ अभी भी बनी हुई है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परीक्षा–2020 के आधार पर परीक्षा–2021 हेतु उचित दिशा–निर्देश प्राप्त करने हेतु परीक्षा प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग समिति ने अनुशंसा की।

**Resolution :**

शैक्षणिक परिषद् ने उक्त प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार–विमर्श किया तथा कोविड–19 महामारी की विषम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये परीक्षा–2021 को आयोजित करने हेतु निम्नानुसार निश्चय करती है :–

1. परीक्षा–2021 हेतु पाठ्यक्रम में कोई भी कटोती नही की जायेगी, पाठ्यक्रम शत्–प्रतिशत ही रहेगा। उक्त सम्बन्ध में कुलपति जी ने सदन को सूचित किया कि परीक्षा 2021 के आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा भी एक समिति को गठित करके विचार विमर्श किया गया है जिसके दिशा निर्देश जारी होना अभी लम्बित है।

2. शैक्षणिक परिषद् कुलपति जी को अधिकृत करती है कि परीक्षा 2021 के आयोजन से पूर्व उपरोक्त निर्णयानुसार कार्य प्रणाली/दिशा–निर्देश तैयार करने हेतु 05 सदस्यों की एक समिति गठित करे जिसमें राज्य सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होने पर उनका भी समावेश उक्त समिति द्वारा किया जावें। समिति अपनी अनुशंसा 15 दिवस में प्रस्तुत करेगी, जिसे आगामी शैक्षणिक परिषद् में विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

**Action : Secrecy/Exam**

**Agenda Item No.09**

To consider the proposal for giving the facility to students for revaluation in 50% of the theory papers including compulsory, core, subsidiary, Honours, additional or any other papers in which a candidate actually appeared at an examination **instead of 25% of theory papers**.

In this connection **to report** that presently the facility of revaluation is available in 25% of theory papers but the Academic Council vide its Res. No. 14 dated 23.06.2017 duly approved by the Syndicate vide its Res. No. 05 dated 29.07.2017 has allowed the facility of revaluation in 50% of theory papers instead of 25% theory papers in all examinations of 2017 only, giving the relaxation in the existing provisions of clause (1) of Ordinance 157-A .

Further, the Vice-Chancellor vide his orders dated 15.06.2018 and 16.05.2019 has also allowed the facility of revaluation in 50% of theory papers instead of 25% of theory papers in the examinations of 2018 and 2019 respectively, looking to the circumstances.

If the above proposal is accepted for future, the related provisions given in clause (1) of Ordinance 157-A be amended and submitted for approval as under :

The word "25%" **be substituted** for the words "50%" appearing at two places in the in clause (1) of Ordinance 157-A.

**Resolution :**

शैक्षणिक परिषद् उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर अध्यादेश 157-A के बिन्दु संख्या–(1) में निम्नानुसार संशोधित करने का निश्चय करती है :–

*The word "25%" **be substituted** for the words "50%" appearing at two places in the in clause (1) of Ordinance 157-A.*

शैक्षणिक परिषद् उपरोक्त की निरन्तरता में यह भी अनुशंसा करती है कि परीक्षा वर्ष 2021 से यह नियम लागू किया जाये।

**Action : Secrecy/Exam**

**Agenda Item No.10**

To consider the request made by Head, Department of Music for approval of the Syllabus for M.P.A. (Kathak & Tabla). The Head, Department of Music has proposed to start these course from session 2020-21 under S.F.S.

**Explanatory Note :-**

1. The Head, Department of Music has informed that the departmental Steering Committee in its meeting held on 27.08.2020 has proposed as under :-
    1. विश्वविद्यालय के (SFS) के नियमानुसार यह पारित किया गया कि संगीत विभाग में M.P.A. कत्थक और तबला को सत्र 2020–21 में आरम्भ किया जाये।
    2. (SFS) के नियमानुसार अन्य विषयों में 20 विद्यार्थियों का होना आवश्यक है परन्तु संगीत विषय में अधिकतम 12 विद्यार्थी ही शिक्षण के लिये सम्भव है, क्योंकि संगीत Performing Art है।
    3. M.P.A. तबला और M.P.A. कत्थक में प्रवेश अभीयोग्यता परीक्षण के आधार पर होगा।
    - **विशेष** – बी.पी.ए./बी.म्यूज उत्तीर्ण विद्यार्थियों (50 प्रतिशत प्राप्तांक) के अतिरिक्त जिन विद्यार्थियों ने स्नातक की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की है साथ ही सम्बन्धित विषय में आठ वर्षो का डिप्लोमा (अंलकार, निपुण, कोविद, प्रवीण इत्यादि के समकक्ष) प्राप्त किया है वो भी इस कक्षा में प्रवेश लेने योग्य है।
2. The Standing Committee for SFS courses in its meeting held on 06.01.2021 has recommended that the course can only be stared after approval of the Academic Council.

**Resolution :**

शैक्षणिक परिषद् उक्त प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर एस.एफ.एस. स्टैडिंग कमेटी की अनुशंसा दिनांक 06–01–2021 के आधार पर एम.पी.ए.–तबला और एम.पी.ए.–कत्थक को एस.एफ.एस. प्रणाली के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र–2020–21 से चालू करने का निश्चय करती है। साथ ही इस हेतु आवेदन फॉर्म ऑफ–लाइन मोड पर उपलब्ध कराने का निश्चय करती है।

**Action :Plan & Project/Acad.I**

**Agenda Item No.11**

To report the Orders of the Vice-Chancellor dated 17.07.2020, granting permission for conducting online Viva-Voce of Ph.D. students during the pandemic period of COVID-19.

**Explanatory Note:**

1. Due to outbreak of COVID-19 pandemic, following on Point No. **12** of the ***'UGC Guidelines on Examinations and Academic Calendar for the Universities in View of COVID-19 Pandemic and Subsequent Lockdown'***, *dated 27.04.2020,* permission for conducting online Ph.D. viva-voce was granted by the Vice-Chancellor vide his orders dated 17.07.2020. Accordingly, Office Order No. RS/Special/3/2020/6082 dated 23.07.2020 and subsequent corrigendum dated 05.09.2020 was issued.
2. The matter was placed before the Syndicate as a reporting item in its meeting held on 29.12.2020. The Syndicate vide **Resolution. No. 6-3.4,** has **resolved** that the matter should be placed before the Academic Council.

**Resolution :**

शैक्षणिक परिषद् कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि करती है एवं साथ ही निम्नानुसार यह भी निश्चय करती है कि :–

1. इसे दोनों ही मोड यथा ऑन–लाइन के साथ–साथ ऑफ–लाइन मोड पर भी लागू किया जायेगा।
2. एक ही राज्य में दो परीक्षक अलग–अलग विश्वविद्यालय में दिये जाने की अनुमति दी जाती है, जिसमें एक विश्वविद्यालय केन्द्रीय एवं एक राज्य विश्वविद्यालय होगा।

**Action : Research Section**

***Following Table Agenda Items considered with the permission of the chair :***

**Agenda Item No.01**

To consider starting a new Certificate Course in Gandhian Thoughts and Philosophy on SFS basis in the Centre for Gandhian Studies.

**Explanatory Note :-**

1. Dr. Rajesh Sharma, Director, Centre for Gandhian Studies, vide his letter No.CGS/2021/9520 dated 16.02.2021 has requested for starting a new course in Gandhian Thought & Philosophy on SFS basis during the Academic Session 2021-22 **(Copy enclosed).**
2. It has been stated by the Director, that the proposal has already been considered by Adhoc COC Committee in its meeting held on 07.03.2019. The admission criteria has been proposed as under :-

| | |
|---|---|
| Admission Eligibility | Student passing Senior Secondary |
| Duration | Three months |
| Fee | Rs. 2200/- only |
| Number of Seats : | 40 |

**Resolution :**

शैक्षणिक परिषद् उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर यह निश्चय करती है कि तद्र्थ पाठ्यक्रम समिति अपने उक्त प्रस्ताव के निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुनः विचार कर अपनी अनुशंसा सहित प्रस्तुत करे :–

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता –स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर की हो।
2. पाठ्यक्रम की समयावधि 06 माह या 01 वर्ष की हो।

**Action :Plan & Project/Acad.I**

**Agenda Item No.02**

अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय व विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक : पीएसवाइ/2021/1960 दिनांक 17–02–2021 के द्वारा आग्रह किया कि पी.जी. डिप्लोमा इन कांउसलिंग को (एक वर्षीय एस.एफ.एस.) दो सेमेस्टर में 2019–20 में आयोजित की जा रही है। प्रथम सेमेस्टर में अनुतीर्ण विद्यार्थियों द्वारा निरन्तर निवेदन किया जा रहा है कि जो विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में अनुतीर्ण हो जाते है, उन्हें द्वितीय सेमेस्टर में पुनः परीक्षा का मौका नहीं दिया जाता है। जबकि पी.जी. सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं में इस प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए केवल प्रथम सेमेस्टर में अनुतीर्ण विद्यार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाये।

**Resolution :**

शैक्षणिक परिषद् उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करते हुये पी.जी. डिप्लोमा इन कांउसलिंग (एक वर्षीय एस.एफ.एस. कोर्स) दो सेमेस्टर में भी अन्य पी.जी. सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं के नियमानुसार केवल प्रथम सेमेस्टर में अनुतीर्ण विद्यार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करने का निश्चय करती है।

**Action :Secrecy/Exam**

**Agenda Item No.03**

डॉ. विनोद शर्मा, विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक आचार्यो को रिसर्च गाइड बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शैक्षणिक परिषद् के समक्ष रखा गया।

**Resolution**

शैक्षणिक परिषद् उक्त प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार–विमर्श करते हुये सर्वसम्मति से यह निश्चय करती है कि सभी नव–नियुक्त सहायक आचार्यो के स्थयीकरण आदेश जारी होने के पश्चात् उक्त प्रस्ताव को नियमानुसार रिसर्च बोर्ड के माध्यम से शैक्षणिक परिषद् में प्रस्तुत किया जाये।

**Action :Secrecy/Exam**

**Agenda Item No.04**

डॉ. विनोद शर्मा एवं डॉ. नीलिमा गुप्ता द्वारा शैक्षणिक परिषद् के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24F(4) एवं परिनियम संख्या 25 के अनुसार विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं में नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों के सम्बन्ध में अधिकार

पाठ्यक्रम अध्ययन मंडल समिति को है, जबकि गोपनीय शाखा द्वारा पिछले 02 वर्षो से (सक्षम स्तर की स्वीकृति पश्चात्) पाठ्यक्रम अध्ययन मण्डल समिति द्वारा दिये गये पैनल को परीक्षा सम्बन्धित कार्य करने वाली कम्प्यूटर ऐजन्सी को देकर उससे Automatically Randomly के आधार पर शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है जिसमें कई अनियमितितायें है जिसकी गंभीरता से जाँच की जानी आवश्यक है। इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रक ने 2 वर्ष पूर्व पद्धति के सम्बन्ध में ACB में दायर परिवाद तथा विश्वविद्यालय द्वारा गठित समितियों के निर्णय के आधार पर वर्तमान पद्धति लागू करने के बारे में बताया।

**Resolution**

शैक्षणिक परिषद् उक्त प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार–विमर्श करते हुये सर्वसम्मति से जाँच समिति का गठन करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करती है। जाँच समिति उक्त विषय पर अपनी अनुशंसा 15 दिवस में प्रस्तुत करेगी जिसे आगामी शैक्षणिक परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। जब तक जाँच समिति की अनुशंसा पर विचार करके शैक्षणिक परिषद् कोई निश्चय नही करती तब तक वर्तमान पद्धति जिसमें पाठ्यक्रम अध्ययन मंडल समिति द्वारा दी जाने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं के शिक्षकों की सूची के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।

**Action : C.E./Secrecy**

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

01/03/2024

**(K.M. Duriya)**
**REGISTRAR**

1/3/2024

**(Prof. Rajeev Jain)**
**VICE-CHANCELLOR**